



No: 006176

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 617.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

वर्ष 2009 - 2010.

एल्यूमिनीय ऑफ रॉन्ची एंड्री कलथरलथ कॉलेज

(A.R.A.C.)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज पथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।
आज तारीख मास 01/02/09 वर्ष दो हजार 01 को रॉन्ची में मेरे हस्ताक्षर के
साक्ष्य दिया गया ।



गोबर्नमेन्ट श्रेष्ठ, रांची ।

नास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, रांची ।
(Signature)

पत्रांक : 10.21.2159 - 1300

झारखण्ड सरकार
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय,
झारखण्ड, राँची।

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र

राँची, दिनांक : 26/11/09

एड्यूकेशन ऑफिस राँची एजीक्यूटिव कॉलेज
(A.R.A.C.)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नांकित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं :-

- (1) निबंधन शुल्क 50/- रूपया मात्र
- (2) आम सभा का प्रस्ताव
- (3) स्मृति पत्र,
- (4) नियमावली।

26/11/09
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,

एड्यूकेशन ऑफिस राँची एजीक्यूटिव कॉलेज

आ. राँची एम विद्यया विभाग राँची

पते राँची

राँची राँची

आपके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।
कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

26/11/09
वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।